सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस
दिनांक –15.07.2024

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचनाएवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये कुल 05 अभियोगों में 05 अभियुक्तगण को मान0 न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विभिन्न मुकदमों में सजा पाये अभियुक्तगणों का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम – थाना कोटरा में मु0अ0सं0 03/2021 (वाद संख्या – 18/2021) धारा 363 / 366 / 376(3) भादवि व ¾(2) पॉक्सो एक्ट बनाम योगेश कुमार पुत्र स्व0 पुनू वर्मा नि0 ग्राम धुरट थाना कोटरा जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय एडीजे पॉक्सो कोर्टा उरई, जालौन द्वारा अभियुक्त योगेश उपरोक्त को दोषी पाते हुये 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 40,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण द्वितीय – थाना जालौन में मु0अ0सं0 301/23 (वाद संख्या – 41/23) धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम देवेन्द्र उर्फ छोटे पुत्र पातीराम नि0 मु0 नया खण्डेराव कस्बा व थाना जालौन जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय एडीजे एफटीसी सीएडब्लू एनडीपीएस कोर्ट उरई, जालौन द्वारा अभियुक्त देवेन्द्र उपरोक्त को दोषी पाते हुये जेल में बितायी गयी अवधि एवं 5000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण तृतीय – थाना जालौन में मु0अ0सं0 426/23 (वाद संख्या – 13/24) धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम सुनील यादव उर्फ कन्जे पुत्र राजेन्द्र यादव नि0 मु0 रावतान कस्बा व थाना जालौन जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय एडीजे एफटीसी सीएडब्लू एनडीपीएस कोर्ट उरई, जालौन द्वारा अभियुक्त सुनील उपरोक्त को दोषी पाते हुये जेल में बितायी गयी अवधि एवं 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण चतुर्थ – थाना कैलिया में मु0अ0सं0 157/2018 (वाद संख्या – 229/2020) धारा 278/285/291 भादवि बनाम राजकुमार पुत्र बहादुर नि0 पीपरी कला थाना कैलिया जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय अपर सिविल जज, कोंच द्वारा अभियुक्त राजकुमार उपरोक्त को दोषी पाते हुये 2500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण पंचम – थाना कोंच में मु0अ0सं0 103/2010 (वाद संख्या – 784/2010) धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम महफूज अंसारी पुत्र महमूद अंसारी नि0 मु0 भगतसिंह नगर कस्बा व थाना कोंच जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय अपर सिविल जज, कोंच द्वारा अभियुक्त महमूद अंसारी उपरोक्त को दोषी पाते हुये 1500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।